



राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

No: F.2 (172) NUHM/HR/2015/ 2153

Dated: 16/07/15

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक No: F.2 (172) NUHM/HR/2015/2107 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा जारी अकाउन्टेन्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के चयनित व प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची जारी कराते हुए इसे उक्त तिथि को विभागीय वेबसाईट पर भी प्रचारित किया गया था।

जिला कलेक्टर अलवर, से प्राप्त सूची के अनुरूप उक्त आदेशों में सहवन से प्रतीक्षारत अभ्यर्थी का नाम चयनित सूची में जारी हो गया था। अतः अलवर जिले की संशोधित सूची निम्न प्रकार से जारी की जाती है:-

संशोधित सूची चयनित अभ्यर्थी जिला अलवर:-

क्र.स.	जिले का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम
1	अलवर	श्री कपिल कुमार गुप्ता	श्री रामजी लाल गुप्ता	जिला मुख्यालय
2		श्री जितेन्द्र गुप्ता	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
3		मीनाक्षी अग्रवाल	श्री अरुण कुमार अग्रवाल	
4		रोजी सिंघल	श्री त्रिलोक चन्द	
5		श्री अजय कुमार	श्री दुली चन्द शर्मा	
6		श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री धर्म चन्द	
7		श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्री नन्दन राम शर्मा	

संशोधित सूची प्रतिक्षारत अभ्यर्थी जिला अलवर:-

क्र.स.	जिले का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम
1	अलवर	श्री संदीप	श्री रामावतार	जिला मुख्यालय
2		श्री सुनील कुमार शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
3		श्री सागर जैन	श्री चन्द्रशेखर जैन	
4		श्री सुरेन्द्र खण्डेलवाल	श्री लक्ष्मण खण्डेलवाल	
5		श्री कुलदीप शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	
6		श्री रवि कुमार रेवारिया	श्री रामस्वरूप रेवारिया	
7		श्री शुभम शर्मा	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित सूची ही वैध मानी जावे।

संयुक्त शासन सचिव  
चि० एवं स्वा० एवं  
अति० मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चि0 एवं स्वा0 राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार।
3. निजि सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक-एनएचएम।
5. जिला कलेक्टर, जिला अलवर।
6. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, जयपुर संभाग।
9. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलवर।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम, जिला अलवर।
11. जिला अरबन हैल्थ प्लानिंग कन्सलटेन्ट एनयूएचएम, जिला अलवर।
12. सर्वर रूम को आदेशित किया जाता है कि संशोधित कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक No: F.2 (172) NUHM/HR/2015/2107 दिनांक 14.07.2015 के साथ संलग्न करें।
13. कार्यालय प्रतिलिपि।

संयुक्त शासन सचिव  
चि0 एवं स्वा0 एवं  
अति0 मिशन निदेशक, एनएचएम